मनीष और अन्य बनाम लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार और अन्य

(मुख्य न्यायधीश रविशंकर झा)

मुख्य न्यायधीश रविशंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के समक्ष ।

मनीश और अन्य---------याचिकाकर्ता

बनाम

लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार और अन्य-------प्रतिवादीगण

सीडब्ल्यूपी नंबर 268/2020

15 जनवरी, 2020

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-नकारात्मक समानता के सिद्धांत पर राहत नहीं दी जा सकती-याचिकाकर्ता को नियम 12 के अनुसार 2 वर्षों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पहले वर्ष को पास करने में विफल रहने पर कॉलेज से हटा दिया गया-एक अन्य छात्र जिसने सात अवसरों का लाभ उठाया है के साथ समानता का दावा करके चुनौती दी गई -माना गया, न्यायालय किसी प्राधिकरण को उनके अपने नियमों के उल्लंघन में कार्य करने का निर्देश नहीं दे सकता है-इसके अलावा, नकारात्मक समानता जब अधिकार से बाहर नहीं निकलता है तो दावा नहीं किया जा सकता है-याचिका खारिज कर दी गई।

माना गया कि नियमों के अनुसार, प्रतिवादी-प्राधिकरणों को याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वास्तव में, यह विश्वविद्यालय और कॉलेजों को उनके अपने नियमों का उल्लंघन करने के लिए निर्देश जारी करने के बराबर होगा, जो कि स्वीकार्य नहीं है जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय बनाम सुरजीत कौर, (2010) 11 एस. सी. सी. 159 के मामले में माना है निम्नलिखित मामलों में अभिनिर्धारित किया है । पैरा नंबर 10 से 17 को इस प्रकार पढ़ें:-

“10. न्यायालय के पास कानून के विपरीत निर्देश जारी करने की कोई क्षमता नहीं है और न ही न्यायालय किसी प्राधिकरण को वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का निर्देश दे सकता है।पंजाब राज्य और अन्य बनाम रेणुका सिंगला और अन्य, (1994) 1एस. सी. सी. 175, में इसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः-

"हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि कैसे उच्च न्यायालय या यह न्यायालय ऐसे निर्देश जारी करने में दरियादिल या उदार हो सकता है जो वास्तव में संबंधित अधिकारियों को उनके अपने वैधानिक नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने का निर्देश देने के बराबर है।

(पैरा 9)

यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं को नकारात्मक समानता के सिद्धांत पर राहत लेने या राहत देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा एक अमन के साथ लाभ और समानता का दावा किया गया है, जिसको नियमों के तहत अनुमत अवसरों की तुलना में अधिक अवसर दिए गए हैं ओडिशा राज्य और अन्य बनाम अनूप कुमार सेनापति और अन्य, 2019 (12) स्केल 387, में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए इस पर विचार या अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसमें यह किया गया है इसे पैरा सं.30 में निम्नानुसार रखा गया है:-

"30. अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि अन्य व्यक्तियों के संबंध में, अधिकरण द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी और1994 के आदेश के तहत समानता के आधार पर सहायता अनुदान जारी किया गया है, जैसे कि समानता के आधार पर इस न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त मुद्दे पर विचारों में मतभेद रहा है।जो भी हो हमारी राय में, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नकारात्मक समानता की कोई अवधारणा नहीं है।यदि व्यक्ति के पास अधिकार है, तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन जहां अधिकार उपलब्ध नहीं है, वहां कोई व्यक्ति समान व्यवहार किए जाने के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि अधिकार मौजूद नहीं है, नकारात्मक समानता जब अधिकार मौजूद नहीं है, तो दावा नहीं किया जा सकता है।बसावराज और

एक अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, (2013) 14 एस. सी. सी. 81में इस प्रकार आयोजित किया गयाः

"8.यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या धोखाधड़ी को कायम रखना नहीं है, यहां तक कि अन्य मामलों में किए गए गलत निर्णयों को आगे बढ़ाना भी है।उक्त प्रावधान में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, बल्कि इसका केवल एक सकारात्मक पहलू है।इस प्रकार, यदि कुछ अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को अनजाने में या गलती से कुछ राहत/लाभ दिया गया है, तो ऐसा आदेश दूसरों को भी वही राहत प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है।यदि पहले के मामले में कोई गलती गलती हुई है, तो उसे कायम नहीं रखा जा सकता है। समानता सधारण है, जिस पर अवैधता का दावा नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इसे किसी नागरिक या अदालतद्वारा नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है।यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता और अनियमितता की गई है या किसी न्यायिक मंच द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या बढ़ाने या इसी तरह का गलत आदेश पारित करने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं।किसी विशेष पक्ष के पक्ष में एक गलत आदेश/निर्णय किसी अन्य पक्ष को गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता है। वैसे भी, अनुच्छेद 14 को

बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है अन्यथा यह प्रशासन के कामकाज को असंभव बना देगा।

(चंडीगढ़ प्रशासन बनाम जगजीत सिंह, (1995) 1 एस. सी. सी. 745, आनंद बटन लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (2005) 9 एस. सी. सी. 164, के. के. भल्ला बनाम एम. पी. राज्य, (2006) 3 एस. सी. सी. 481 और फुजीत कौर बनाम पंजाब राज्य, (2010) 11 एस. सी. सी. 455।)"

(पैरा 10)

मनीष और अन्य बनाम लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार और अन्य 215 (मुख्य न्यायधीश रविशंकर झा)

आगे कहा गया कि याचिका को खारिज करते समय, हम यह स्पष्ट करने के लिए विवश हैं कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है ताकि कानून और नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में विश्वास पैदा किया जा सके और इसलिए, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे विश्वविद्यालय और अन्य प्राधिकरणों के नियमों और विनियमों का अनुपालन करें। (पैरा 13)

चांद राम ओल्ला, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए।

मुख्य न्यायधीश रविशंकर झा मौखिक

सीएम-441-सी. डब्ल्यू. पी.-2020

(1) आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए, अनुलग्नक ए-1 को रिकॉर्ड पर लिया गया है।

(2) आवेदन का निपटारा किया जाता है।

सी. डब्ल्यू. पी.-268-2020

(3) याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका दिनांक 13.12.2019 की सूचना से व्यथित होकर दायर की है जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं के नाम कॉलेज की सूची से हटा दिए गए हैं क्योंकि याचिकाकर्ता दो वर्षों में पशु चिकित्सा और पशुधन विकास डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पहले वर्ष को पास करने में विफल रहे हैं।

(4) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय ने 2012-2013 के शैक्षणिक सत्र में रोल नंबर 12 वीएलडी 044 वाले एक छात्र अमन को सात अवसर दिए हैं, जिनमें से पांच डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष को उत्तीर्ण करने के लिए थे। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी-प्राधिकरणों ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है और याचिकाकर्ताओं को उत्पीड़न का शिकार बनाया है एक तरफ, उन्होंने एक छात्र को सात प्रयासों की अनुमति दी है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए दो से अधिक प्रयासों से इनकार किया है।

(5) हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

(6) हमने पैरा पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा जारी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों का भी अध्ययन किया है, जिन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा सीएम-441-सीडब्ल्यूपी-2020 के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखा गया है।उक्त नियमों का नियम 12 इस प्रकार हैः-

“12. आवासीय आवश्यकताएँ

एक छात्र को कक्षा उत्तीर्ण करने/पास करने के लिए अधिकतम दो साल की अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद उसका नाम निदेशक, पैरा पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा कॉलेज की सूची से हटा दिया जाएगा।किसी भी कारण से चूक गई परीक्षाओं को एक प्रयास के रूप में माना जाएगा। किसी भी मामले में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए कुल आवासीय आवश्यकता चार साल से अधिक नहीं होगी।”

(7) उपरोक्त नियम के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक छात्र को एक कक्षा उत्तीर्ण करने/ पास करने के लिए अधिकतम दो साल की अनुमति है, जिसके बाद उसका नाम कॉलेज की सूची से हटा दिया जाएगा। मान लीजिए, याचिकाकर्ता दो वर्षों में प्रथम वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम को पास नहीं कर पाए हैं और अधिकारियों ने नियम 12 के

तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13.12.2019 विवादित आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं के नामों को सूची से हटा दिया है।

(8) नियमों और तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी-प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेश नियमों और कानून के अनुसार है और इस प्रकार, हस्तक्षेप की गारंटी देने वाले किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है।

(9) हमारी यह भी सुविचारित राय है कि नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए प्रतिवादी-प्राधिकरणों को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वास्तव में, यह विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अपने नियमों का उल्लंघन करने का निर्देश जारी करने के बराबर होगा, जो कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय बनाम सुरजीत कौर 1 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।पैरा नंबर 10 से 17 को इस प्रकार पढ़ें:-

“10. न्यायालय के पास कानून के विपरीत निर्देश जारी करने की कोई क्षमता नहीं है और न ही न्यायालय किसी प्राधिकरण को वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का निर्देश दे सकता है। पंजाब राज्य और अन्य बनाम रेणुका सिंगला और अन्य (1994) 1 एस. सी. सी. 175में इसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

---

1 (2010) 11 एस. सी. सी. 159

मनीष और अन्य बनाम लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार और अन्य 217 (मुख्य न्यायधीश रविशंकर झा)

"हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि कैसे उच्च न्यायालय या यह न्यायालय ऐसे निर्देश जारी करने में दरियादिल या उदार हो सकता है जो वास्तव में संबंधित अधिकारियों को उनके अपने वैधानिक नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने का निर्देश देने के बराबर है।

11. इसी तरह, **कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम अशरफुल्ला खान और अन्य, 2002(1) आरसीआर (सिविल) 768** में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को कानून का शासन लागू करने की आवश्यकता है न कि आदेश या निर्देश पारित करने की जो कानून द्वारा दिए गए आदेश के विपरीत है।

12. इस न्यायालय द्वारा इसी तरह के विचार को **मनीष गोयल बनाम रोहिणी गोयल, 2010 (2) आर. सी. आर. (सिविल) 194:2010 (1) आरएजे 707**में दोहराया गया है

13. यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी ने बी. एड. पाठ्यक्रम के लिए अपना फॉर्म भरने के समय पहली बार में राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर छात्र की अपने प्रवस के बारे में कोई खुलासा नहीं किया था।

14. अधिसूचना दिनांक 16.3.1998 निम्नानुसार हैः-

"यह अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस./एम. डी./पी. जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को छोड़कर स्नातक (पैटर्न 10+2 + 3 के तहत के साथ-साथ स्नातकोत्तर परीक्षा (सेमेस्टर प्रणाली को बंद करने के बाद वार्षिक प्रणाली) के उम्मीदवारों को अंतिम दया का मौका दिया है, जो निर्धारित अवसरों के भीतर अपने पुनः उपस्थित होने वाले पेपर (पेपर) को पास नहीं कर सके और जिन्हें असफल घोषित किया गया है और जो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार स्नातक के लिए छह साल और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए चार साल के निर्धारित अवधि के भीतर डिग्री पास/पूरा नहीं कर सके,।परीक्षा शुल्क रु 1, 000/-होगा " ।

15. इसका केवल अवलोकन करने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि उक्त प्रावधान प्रतिवादी जैसे उम्मीदवारों के लिए नहीं था। वास्तव में, उक्त अधिसूचना की आड़ में, प्रतिवादी अपीलकर्ता के साथ अपना प्रपत्र पंजीकृत कराने में कामयाब रही और जब इस विसंगति का पता चला, तो अपीलकर्ता ने इसे सही करने का फैसला किया जो हमारी राय में पूरी तरह से उचित था।प्रतिवादी इस तथ्य का कोई लाभ प्राप्त करने के लिए,

आचरण द्वारा या किसी क़ानून के विरुद्ध कोई रोक का अनुरोध नहीं कर सकता है ताकि उसे में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी।

16. **केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम मैनेजिंग सोसायटी, गोस्वामी, जी. डी. एस. डी. सी., 1996 (1) आर. आर. आर. 649: (1996) 7 एस. सी. सी. 665 में,** इस न्यायालय ने पंजाब (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत मामले पर विचार किया, जिसमें न्यायसंगत रोक के आधार पर एक मांग को चुनौती दी गई थी।इस न्यायालय ने माना कि वचन-निषेध क़ानून के खिलाफ लागू नहीं होता है।इसलिए, प्राधिकरण को कानून के अनुसार बकाया राशि की वसूली करने का अधिकार था। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"(प्रशासन) ने केवल एक पेटेंट गलती को ठीक किया जिसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी .....कानून के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन में एक अनुबंध केवल कानून के संदर्भ में पढ़ा और लागू किया जा सकता है और किसी अन्य तरीके से नहीं । इस मामले में न्यायसंगत रोक का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि किसी क़ानून के ख़िलाफ़ कोई रोक नहीं हो सकती है।"

17. विधायी कार्य के प्रयोग में विधानमंडल के खिलाफ कोई रोक-टोक/वादा रोक-टोक नहीं हो सकता है और न ही सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को वैधानिक निषेध लागू करने से रोका जा सकता है।प्रोमिसरी

एस्टोपेल एक न्यायसंगत सिद्धांत होने के नाते, जब इक्विटी की आवश्यकता होती है तो तो उसे देना चाहिए **(डॉ. एच. एस. रिखी आदि बनाम नई दिल्ली नगरपालिका समिति, ए. आई. आर. 1962 सुप्रीम कोर्ट 554; एम. आई. बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम राधे श्याम साहू और अन्य (1999) 6 एस. सी. सी 464; शीश राम** और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2000 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 279:(2000) 6 एससीसी 84; चंद्र प्रकाश तिवारी और अन्य बनाम शकुंतला शुक्ला और अन्य, 2002 (2) एस. सी. टी. 1093:(2002) 6 एससीसी 127; आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम प्रभारी व्यक्ति, एएमसी **काकीनाडा और अन्य, ए. आई. आर. 2004 सुप्रीम कोर्ट 1796; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम संघर्ष समिति और अन्य, (2008) 12 एस. सी. सी. 675; और स्नेह गुप्ता बनाम देवी सरूप और अन्य, 2009 (2) आर. सी. आर. (सिविल) 129:2009(2) आर. ए. जे 145:(2009) 6 एससीसी 194)।"**

(10) हमारी यह भी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ताओं को नकारात्मक समानता के सिद्धांत पर राहत मांगने या राहत देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा लाभ और समानता का एक अमन के साथ दावा किया गया, जिसे नियमों के तहत दिए गए अवसरों की तुलना में अधिक अवसर दिए गए हैं, पर ओडिशा राज्य और अन्य बनाम अनूप कुमार सेनापति और अन्य 2 में सर्वोच्च न्यायालय के

फैसले को देखते हुए विचार या अनुमति नहीं दी जा सकती है। जिसमें यह पैरा नं. 30में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:-

“30. अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि अन्य व्यक्तियों के संबंध में, अधिकरण द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी और1994 के आदेश के तहत समानता के आधार पर सहायता अनुदान जारी किया गया है, जैसे कि समानता के आधार पर इस न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त मुद्दे पर विचारों में मतभेद रहा है।जो भी हो हमारी राय में, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नकारात्मक समानता की कोई अवधारणा नहीं है।यदि व्यक्ति के पास अधिकार है, तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन जहां अधिकार उपलब्ध नहीं है, वहां कोई व्यक्ति समान व्यवहार किए जाने के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि अधिकार मौजूद नहीं है, नकारात्मक समानता जब अधिकार मौजूद नहीं है, तो दावा नहीं किया जा सकता है। **बसावराज और एक अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, (2013) 14 एस. सी. सी. 81, यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः**

"8.यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या धोखाधड़ी को कायम रखना नहीं है, यहां तक कि अन्य मामलों में किए गए गलत निर्णयों को आगे बढ़ाना भी है।उक्त

प्रावधान में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, बल्कि इसका केवल एक सकारात्मक पहलू है।इस प्रकार, यदि कुछ अन्य

समान स्थिति वाले व्यक्तियों को अनजाने में या गलती से कुछ राहत/लाभ दिया गया है, तो ऐसा आदेश दूसरों को भी वही राहत प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है।यदि पहले के मामले में कोई गलती गलती हुई है, तो उसे कायम नहीं रखा जा सकता है। समानता सधारण है, जिस पर अवैधता का दावा नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इसे किसी नागरिक या अदालत द्वारा नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है।यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता और अनियमितता की गई है या किसी न्यायिक मंच द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या बढ़ाने या इसी तरह का गलत आदेश पारित करने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं।किसी विशेष पक्ष के पक्ष में एक गलत आदेश/निर्णय किसी अन्य पक्ष को गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता है। वैसे भी, अनुच्छेद 14 को बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है अन्यथा यह प्रशासन के कामकाज को असंभव बना देगा। **चंडीगढ़ प्रशासन बनाम जगजीत सिंह, (1995) 1 एस. सी. सी. 745, आनंद बटन लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (2005) 9 एस. सी. सी. 164, के. के. भल्ला बनाम एम. पी. राज्य, (2006) 3 एस. सी. सी. 481 और फुजीत कौर बनाम पंजाब राज्य, (2010) 11 एस. सी. सी. 455।)”**

चटमन लाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2014) 15एस. सी. सी. 715 में, यह निम्नानुसार देखा गयाः

"16.इसके अलावा, यह भी तय कानूनी प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 14 में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई है।यदि अनजाने में या अन्यथा किसी को गलत लाभ प्रदान किया गया है, तो यह इस तरह की राहत देने का आधार नहीं हो सकता है -**बसावराज और एक अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, (2013) 14 एस. सी. सी. 81 मामले में इस मुद्दे पर विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः(एस. सी. सी. पी. 85, पैरा 8)**

"8.यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या धोखाधड़ी को कायम रखना नहीं है, यहां तक कि अन्य मामलों में किए गए गलत निर्णयों को आगे बढ़ाना भी है।उक्त प्रावधान में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, बल्कि इसका केवल एक सकारात्मक पहलू है।इस प्रकार, यदि कुछ अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को अनजाने में या गलती से कुछ राहत/लाभ दिया गया है, तो ऐसा आदेश दूसरों को भी वही राहत प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है।यदि पहले के मामले में कोई गलती गलती हुई है, तो उसे कायम नहीं रखा जा सकता है। समानता सधारण है, जिस पर अवैधता का दावा नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इसे किसी नागरिक या अदालत द्वारा नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है।यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के

समूह के पक्ष में कोई अवैधता और अनियमितता की गई है या किसी न्यायिक मंच द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या बढ़ाने या इसी तरह का गलत आदेश पारित करने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं।किसी विशेष पक्ष के पक्ष में एक गलत आदेश/निर्णय किसी अन्य पक्ष को गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता है। वैसे भी, अनुच्छेद 14 को बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है अन्यथा यह प्रशासन के कामकाज को असंभव बना देगा। **चंडीगढ़ प्रशासन बनाम जगजीत सिंह, (1995) 1 एस. सी. सी. 745, आनंद बटन लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (2005) 9 एस. सी. सी. 164, के. के. भल्ला बनाम एम. पी. राज्य, (2006) 3 एस. सी. सी. 481 और फुजीत कौर बनाम पंजाब राज्य, (2010) 11 एस. सी. सी. 455।)"**

मनीष और अन्य बनाम लाला लाजपत राय यू. एन. आई. वेटरनरी

एस. सी. सी. 455, यह इस प्रकार देखा गयाः

"11.प्रतिवादी डी एस. लॉन्गिया बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1993 पी एंड एच 54, के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता है। स्थापित कानूनी प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है।अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या धोखाधड़ी को कायम रखना नहीं है।संविधान

के अनुच्छेद 14 में एक सकारात्मक अवधारणा है।समानता एक घिसी-पिटी बात है, जिसका अवैध रूप से दावा नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इसे किसी नागरिक या अदालत द्वारा नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है।यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता और अनियमितता की गई है या किसी न्यायिक मंच द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या बढ़ाने या गलत आदेश पारित करने के लिए उच्च या श्रेष्ठ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं।किसी विशेष पक्ष के पक्ष में एक गलत आदेश/निर्णय के आधार पर किसी अन्य पक्ष को गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता है।अन्यथा भी अनुच्छेद 14 को बहुत अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है अन्यथा यह प्रशासन के कार्य को असंभव बना देगा।**(देखें कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, 1984 सप्प एससीसी 457, पंछी देवी बनाम राजस्थान राज्य, (2009) 2 एससीसी 589 और शांति स्पोर्ट्स क्लब बनाम भारत संघ, (2009) 15 एससीसी 705)"**

दोईवाला सहकारी श्रम संविदा समिति लिमिटेड बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य, (2007) 11 एस. सी. सी. 641, इस न्यायालय ने नकारात्मक समानता के संदर्भ में इस प्रकार कहा:

"28.भारत संघ बनाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनी मामले में इस न्यायालय ने माना है कि दो गलतियाँ एक को सही नहीं बनाती हैं। अपीलकर्ता यह

दावा नहीं कर सकता कि चूंकि किसी अन्य मामले में कुछ गलत किया गया है, इसलिए एक और गलत करने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए।यह किसी ग़लत को सही स्थापित करना नहीं होगा, बल्कि एक और गलत को कायम रख सकता है और ऐसे मामलों में कोई भेदभाव शामिल नहीं है।ऐसे मामलों में अनुच्छेद 14 के तर्क पर समान व्यवहार की अवधारणा को लागू नहीं किया जा सकता है।लेकिन समान व्यवहार की अवधारणा समान कानूनी आधार के अस्तित्व का अनुमान लगाती है।यह गलतियों को समान स्तर पर लाने के लिए गलत कार्रवाई की पुनरावृत्ति को स्वीकार नहीं करता है।प्रभावित पक्षों को अपने मामले की ताकत किसी अन्य आधार पर स्थापित करनी होगी न कि नकारात्मक गुणवत्ता का दावा करके। इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता की दलील में कोई दम नहीं है। यदि कुछ व्यक्तियों को गलत तरीके से परमिट दिया गया है, तो प्रतिवादी सरकार द्वारा की गई गलती का लाभ लेने का दावा नहीं कर सकता है। बोंडू रामास्वामी और अन्य बनाम बैंगलोर विकास प्राधिकरण और अन्य, (2010) 7 एस. सी. सी. 129 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

"146.यदि नियम/योजना/नीति में भूमि की कुछ श्रेणियों को हटाने का प्रावधान है और यदि याचिकाकर्ता उन श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो वह राहत का हकदार होगा।लेकिन यदि नियमों या योजना या हटाने की नीति के तहत , उसकी भूमि हटाने के योग्य नहीं है, तो उसकी भूमि को

केवल इस आधार पर हटाया नहीं जा सकता है कि इसी तरह स्थित कुछ अन्य भूमि को हटा दिया गया था (भले ही वह भूमि भी हटाए जाने योग्य किसी भी श्रेणी में नहीं आती थी), क्योंकि यह नकारात्मक समानता को लागू करने के समान होगा।लेकिन जहां दूसरों की भूमि के बड़े हिस्से को अंधाधुंध और मनमाने ढंग से हटा दिया जाता है, तो अदालत राहत दे सकती है, अगर इस तरह हटाने की नीति के कारण, उस क्षेत्र के लिए विकास योजना अप्रवर्तनीय हो गई है या परिणामसवरुप योजना को त्याग दिया गया है।

कुलविंदर पाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2016) 6 एस. सी. सी. 532 में, यह न्यायालय यू. पी. राज्य बनाम राजकुमार शर्मा, (2006) 3 एससीसी 330 पर भरोसा करते हुए निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

"16.अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जब अन्य उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के खिलाफ पद पर नियुक्त किया गया था, तो वही लाभ अपीलकर्ताओं को भी दिया जाना चाहिए।भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 अवैधता को कायम रखने के लिए नहीं है और यह नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है **यू. पी. राज्य बनाम राजकुमार शर्मा, (2006) 3 एससीसी 330** में इसे (एससीसी पृष्ठ 337, पैरा 15) के अनुसार रखा गया था

"15.भले ही कुछ मामलों में नियुक्तियां गलती से या गलत तरीके से की गई हों, लेकिन यह किसी अन्य व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई है और यदि राज्य ने गलती की है तो उसे उसी गलती को कायम रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।(देखें स्नेहप्रभा बनाम यूपी राज्य (1996) 7 एससीसी 426; जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम दौलत मल जैन (1997)**1 एस. सी. सी. 35; हरियाणा राज्य बनाम राम कुमार मान (1997) 3 एस. सी. सी. 321; फरीदाबाद सी. टी. स्कैन सेंटर बनाम डी. जी., स्वास्थ्य सेवा, (1997) 7 एस. सी. सी. 752; जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम सम्पूरन सिंह, (1999) 3 एस. सी. सी. 494; पंजाब राज्य बनाम राजीव सरवाल, (1999) 9 एस. सी. सी. 240; योगेश कुमार बनाम सरकार। (एन. सी. टी. दिल्ली), (2003) 3 एस. सी. सी. 548; भारत संघ बनाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनी, (2003) 5 एस. सी. सी. 437 और कष्ट निवारण गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित बनाम इंदौर विकास प्राधिकरण, (2006) 2 एस. सी. सी.604.**)" केवल इसलिए कि कुछ व्यक्तियों को अवैध रूप से या गलती से लाभ दिया गया है, यह अपीलकर्ताओं को समानता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। **राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम बनाम सुभाष सिंधी सहकारी आवास सोसायटी, जयपुर और अन्य, (2013) 5 एस. सी. सी. 427 में,** इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"19.भले ही अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों की भूमि को मुक्त कर दिया गया हो, सोसायटी को न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि वह सभी मामलों में समान रूप से स्थित है, और भूमि को मुक्त कराने का स्वतंत्र अधिकार है। +संविधान के अनुच्छेद 14 में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई है और इसका उपयोग किसी भी अवैधता को कायम रखने के लिए नहीं किया जा सकता है।एक प्रवर्तनीय अधिकार के अस्तित्व पर आधारित भेदभाव का सिद्धांत, और अनुच्छेद 14 इसलिए लागू होगा केवल जब समान लोगों के साथ घृणित भेदभाव किया जाता है, **इ**सी तरह बिना किसी तर्कसंगत आधार के, या ऐसे रिश्ते के लिए जो इस तरह के भेदभाव को जन्म देगा। **[देखें स्नेह प्रभा बनाम यूपी राज्य, (1996) 7 एससीसी 426, योगेश कुमार बनाम सरकार (एनसीटी दिल्ली), (2003) 3 एससीसी 548, स्टेट ऑफ डब्लू.बी. बनाम देबाशीष मुखर्जी, (2011) 14 एससीसी 187 और प्रिया गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2012) 7 एससीसी 433।]"**

अरूप दास और अन्य बनाम असम राज्य और अन्य ,(2012) 5 एस. सी. सी. 559 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

"19. इस न्यायालय द्वारा हाल ही में यू. पी. बनाम राजकुमार शर्मा, (2006) 3 एस. सी. सी. 330 में दिए गए निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा एक बार फिर विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अलावा रिक्तियों को भरने के सवाल पर विचार करना पड़ा।इस मुद्दे पर दिए गए विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि विज्ञापित

रिक्तियों की संख्या के अलावा रिक्तियों को भरना, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और यह कि चयनकर्ता अधिकार के रूप में नियुक्तियों का दावा नहीं कर सकते। यह दोहराया गया कि केवल चयन सूची में उम्मीदवारों को शामिल करने से चयन का कोई अधिकार नहीं मिलता है, भले ही कुछ रिक्तियां खाली रह जाएं।इस न्यायालय ने आगे कहा कि भले ही कुछ मामलों में नियुक्तियां गलती से या गलत तरीके से की गई हों, जो किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती हैं, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है और यदि राज्य ने गलती की है, तो उसे उक्त गलती को जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम ममता मोहंती, (2011) 3 एस. सी. सी. 436 में यह देखा गयाः

"56.यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 14 अवैधता को कायम रखने के लिए नहीं है और यह नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है। इस प्रकार, भले ही कुछ अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों को अनजाने में या गलती से कुछ लाभ दिया गया हो, ऐसा आदेश याचिकाकर्ता को समान राहत प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है।(**द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन बनाम जगजीत सिंह, (1995) 1 एस. सी. सी. 745, योगेश कुमार बनाम एन. सी. टी. दिल्ली सरकार, (2003) 3 एस. सी. सी. 548, आनंद बटन लिमिटेड**

बनाम हरियाणा राज्य, (2005) 9 एस. सी. सी. 164, के. के. भल्ला बनाम एम. पी. राज्य, (2006) 3 एस. सी. सी. 581, कृष्ण भट्ट बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, (2008) 9 एस. सी. सी. 24, बिहार राज्य बनाम उपेंद्र नारायण सिंह, (2009) 5 एस. सी. सी. 65 और भारत संघ बनाम कार्तिक चंद्र मंडल, (2010) 2 एस. सी. सी. 422)"

(11) इन परिस्थितियों में, हम प्रतिवादी -प्राधिकरणों द्वारा पारित विवादित आदेश में कोई विकृति या अवैधता नहीं पाते हैं।

(12) याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका तथ्यहीन होने के कारण, तदनुसार खारिज की जाती है।

(13) याचिका को खारिज करते समय, हम यह स्पष्ट करने के लिए विवश हैं कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है ताकि कानून और नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में विश्वास पैदा किया जा सके और इसलिए, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे विश्वविद्यालय और अन्य प्राधिकरणों के नियमों और विनियमों को माने और उनका अनुपालन करें।

सुमती जुंद

सुमन देवी ट्रांसलेटर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।